कार्यवाही विवरण

मेसर्स भिनपुरी लाईम स्टोन क्वारी प्रोजेक्ट (प्रो.—श्री राजेश कुमार सिंघानिया), ग्राम—भिनपुरी, तहसील—सहसपुर लोहारा, जिला—कबीरधाम स्थित खसरा कमांक—44/1, 44/2, 44/3 एवं 43, कुल क्षेत्रफल 2.452 हेक्टेयर में प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान उत्खनन क्षमता—96,795 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 07.07.2023, समय दोपहर 12:30 बजे, स्थान—ग्राम पंचायत भवन, ग्राम—राम्हेपुर, तहसील—सहसपुर लोहारा, जिला—कबीरधाम (छ.ग.) में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :—

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत मेसर्स भिनपुरी लाईम स्टोन क्वारी प्रोजेक्ट (प्रो.—श्री राजेश कुमार सिंघानिया), ग्राम—भिनपुरी, तहसील—सहसपुर लोहारा, जिला—कबीरधाम स्थित खसरा कमांक—44/1, 44/2, 44/3 एवं 43, कुल क्षेत्रफल—2.452 हेक्टेयर में प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान उत्खनन क्षमता—96,795 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय समाचार पत्र द पायोनियर, नई दिल्ली में दिनांक 04.06.2023 एवं दैनिक समाचार पत्र, पत्रिका, संपूर्ण छत्तीसगढ़, में दिनांक 04.06.2023 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तदानुसार लोक सुनवाई दिनांक 07.07.2023 समय दोपहर 12:30 बजे स्थान—ग्राम पंचायत भवन, ग्राम—राम्हेपुर, तहसील—सहसपुर लोहारा, जिला—कबीरधाम (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जनसामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय अधिकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर—19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर, छत्तीसगढ़, कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला—कबीरधाम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला—कबीरधाम, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला—कबीरधाम, सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत राम्हेपुर, जिला—कबीरधाम, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला, भिलाई, जिला—दुर्ग एवं मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन, सेक्टर—19 नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका—टिप्पणियां लोक सुनवाई की सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय

कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कार्यालयीन समय में मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में कोई आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई है।

उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई निर्धारित तिथि दिनांक 07.07.2023 को दोपहर 12:30 बजे अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–कबीरधाम की अध्यक्षता में स्थान–ग्राम पंचायत भवन, ग्राम–राम्हेपुर, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम (छ.ग.) में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–कबीरधाम द्वारा निर्धारित तिथि समय एवं स्थान पर लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई के प्रतिनिधि के रूप में श्री रमेश कुमार अहिरवार, कनिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रकिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तदोपरांत उक्त परियोजना की ओर से उद्योग प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार सिंघानिया एवं कंसलटेन्ट श्री बी0 डी0 पाण्डे, अल्ट्राटेक लेबोरेटरीज, थाणे (महाराष्ट्र) द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई के प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित जनसमुदाय ने उक्त परियोजना के संबंध में अपना आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. श्री राजेश वर्मा, ग्राम–भिनपुरी, जिला–कबीरधाम।
➢ यह खदान खुलना चाहिए इससे गांव वालों को रोजगार मिलेगा। खदान खुलने में कोई आपत्ति नही है।

2. श्री नरेन्द्र कुमार साहू, ग्राम– राम्हेपुर, जिला–कबीरधाम।
➢ खदान खुलने में कोई आपत्ति नही है।

3. श्री नन्दू वर्मा, ग्राम–भिनपुरी, जिला–कबीरधाम।
➢ खदान खुलने में कोई आपत्ति नही है।

4. श्री सुरेश पटेल, ग्राम–बांधाटोला, जिला–कबीरधाम।

➢ खदान खुलने में कोई आपत्ति नही है।

5. श्री जनक राम वर्मा, ग्राम–सोनपुरी, जिला–कबीरधाम।

➢ खदान में मेरे परिवार के लोग काम करते हैं, खदान खुलने में कोई आपत्ति नही है।

6. श्री राजेन्द्र मरावी, ग्राम–सोनपुरी, जिला–कबीरधाम।

➢ कुछ दिन पहले मैं खदान में काम कर रहा था। खदान खुलने में कोई आपत्ति नही है।

7. श्री सुखदेव पटेल, ग्राम–राम्हेपुर, जिला–कबीरधाम।

➢ मुझे विकास चाहिए। गली–गली में कीचड़ नही होना चाहिए।

8. श्री सेवकराम पटेल, ग्राम–भिनपुरी, जिला–कबीरधाम।

➢ खदान खुलने में कोई आपत्ति नही है। हमको रोजगार मिल रहा है। खदान खुलना चाहिए। इसमें सरकार का भी फायदा है। क्रशर में जल छिड़काव करके ही संचालित किया जाना चाहिए।

9. श्री राकेश वर्मा, ग्राम–भिनपुरी/राम्हेपुर, जिला–कबीरधाम।

➢ क्रशर खुलना चाहिए और नियम के तहत चलना चाहिए।

10. श्री खिलावन यादव, ग्राम–भिनपुरी/राम्हेपुर, जिला–कबीरधाम।

➢ खदान खुलने में कोई आपत्ति नही है और नियम के तहत चलना चाहिए। हम सबको रोजगार मिल रहा है।

11. श्री राधेश्याम वर्मा, ग्राम–भिनपुरी, जिला–कबीरधाम।

➢ खदान खुलने में कोई आपत्ति नही है।

12. श्री रामप्रसाद, ग्राम–सोनपुरी, जिला–कबीरधाम।

➢ खदान खुलने में कोई आपत्ति नही है।

13. श्री चंद्रेश वर्मा, ग्राम–भिनपुरी, जिला–कबीरधाम।

➢ खदान खुलने में कोई आपत्ति नही है।

14. श्री जगदीश वर्मा, ग्राम–सोनपुरी, जिला–कबीरधाम।

➢ खदान खुलने में कोई आपत्ति नही है।

15. कु0 मथुरा पटेल, ग्राम– राम्हेपुर, जिला–कबीरधाम।

➢ खदान खुलने में कोई आपत्ति नही है। समर्थन है।

16. श्री तोरण साहू, ग्राम– राम्हेपुर, जिला–कबीरधाम।

➢ खदान खुलने में कोई आपत्ति नही है।

17. श्री नीतेश साहू, ग्राम– राम्हेपुर, जिला–कबीरधाम।
➢ खदान खुलने में कोई आपत्ति नही है।

18. श्री केदार सिंह, ग्राम–सारी, जिला–कबीरधाम।
➢ खदान खुलने में कोई आपत्ति नही है। मैं यहां 4–5 सालों से काम कर रहा हूं।

19. श्री तेजराम साहू, ग्राम–राम्हेपुर, जिला–कबीरधाम।
➢ खदान चल रहा है लोगों को रोजगार मिल रहा है। खदान खुलने में कोई आपत्ति नही है। खदान से गांव में किसी को आपत्ति न हो।

20. श्री राजू वर्मा, ग्राम–भिनपुरी, जिला–कबीरधाम।
➢ खदान खुलने में कोई आपत्ति नही है।

21. श्री सदाराम, ग्राम– भिनपुरी, जिला–कबीरधाम।
➢ खदान में बोर ब्लास्टिंग नही होना चाहिए।खदान खुलने में कोई आपत्ति नही है।

22. श्री आनंद, ग्राम–सोनपुरी, जिला–कबीरधाम।
➢ मैं खदान में पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूं। खदान खुलने में कोई आपत्ति नही है।

23. श्री भरोसा राम वर्मा, ग्राम–राम्हेपुर, जिला–कबीरधाम।
➢ मैं भूतपूर्व सरपंच प्रतिनिधि हूं। हमारे द्वारा ही खदान को एनओसी दिया गया था। अधिक गहराई तक उत्खनन करने से भूजल स्तर कम होता है। इसीलिये अधिक गहराई तक उत्खनन न किया जाये। ब्लास्टिंग कम किया जाये जिससे आसपास के घरों में दरार न आये। इस क्षेत्र में खदानों से अत्यधिक धूल उड़ता है इसलिये जल छिड़काव की पर्याप्त व्यवस्था की जाये।

24. श्री विश्वनाथ यादव, ग्राम–सिंघरापारा, जिला–कबीरधाम।
➢ मुझे कोई आपत्ति नही है।

25. श्री चमन साहू, ग्राम–बवई, जिला–कबीरधाम।
➢ मैं विगत 5 सालों से काम कर रहा हूं। मुझे कोई आपत्ति नही है।

26. श्री कृष्णा साहू, ग्राम–राम्हेपुर, जिला–कबीरधाम।
➢ मेरा सुझाव वृक्षारोपण के लिये है। मेरा खदान वालों से सुझाव है कि प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण किया जाये।

27. श्रीमती बिमला वर्मा, ग्राम–सोनपुरी, जिला–कबीरधाम।
➢ खदान खुलने से कोई आपत्ति नही है।

28. श्री राजाराम पटेल, ग्राम– राम्हेपुर, जिला–कबीरधाम।
- मैं खदान में पिछले 5 वर्षो से काम कर रहा हूं। इससे मुझे रोजगार मिल रहा है। खदान खुलने से कोई आपत्ति नही है।

29. श्री अंजन , ग्राम–सोनपुरी, जिला–कबीरधाम।
- खदान खुलने से कोई आपत्ति नही है।

30. श्री प्रमोद पटेल, ग्राम–बांधाटोला, जिला–कबीरधाम।
- खदान खुलने से कोई आपत्ति नही है।

31. श्री मणीराम ध्रुवे, ग्राम–भिनपुरी, जिला–कबीरधाम।
- खदान खुलने से कोई आपत्ति नही है। लेकिन खदान में अधिक से अधिक वृक्षारोपण की तैयारी करें।

32. श्री मनीष पटेल, ग्राम–बांधाटोला, जिला–कबीरधाम।
- खदान खुलने से कोई आपत्ति नही है।

33. श्री लक्ष्मण सिंह वर्मा, ग्राम–भिनपुरी, जिला–कबीरधाम।
- खदान के बाजू में मेरा खेत है। खदान खुलना चाहिए मुझे कोई आपत्ति नही है।

34. श्री मोरज मेरावी, ग्राम–भिनपुरी, जिला–कबीरधाम।
- खदान खुलने से कोई आपत्ति नही है।

35. श्री नेतराम वर्मा, ग्राम–भिनपुरी, जिला–कबीरधाम।
- खदान खुलने से कोई आपत्ति नही है।

36. श्री मनहरण ध्रुवे, ग्राम–भिनपुरी, जिला–कबीरधाम।
- खदान खुलने से कोई आपत्ति नही है।

37. श्री विजयदास मानिकपुरी, ग्राम–बांधाटोला, जिला–कबीरधाम।
- खदान खुलने से कोई आपत्ति नही है।

38. श्री भरत वर्मा, सोसायटी अध्यक्ष,जरहाटोला, जिला–कबीरधाम।
- खदान से रोजगार मिलता है। गिट्टी सस्ता मिलता है। खदान खुलने से कोई आपत्ति नही है।

39. श्री देवराज वर्मा, ग्राम–सोनपुरी, जिला–कबीरधाम।
- खदान खुलने से कोई आपत्ति नही है।

40. श्री रामनाथ पटेल, ग्राम–सहसपुर लोहारा नवापारा, जिला–कबीरधाम।
- खदान खुलने से कोई आपत्ति नही है।

41. श्री कन्हैया वर्मा, ग्राम–सोनपुरी, जिला–कबीरधाम।
- खदान खुलने से कोई आपत्ति नही है।

42. श्री विष्णुराम पटेल, ग्राम–भिनपुरी, जिला–कबीरधाम।

➢ खदान खुलने से कोई आपत्ति नही है। बड़ा ब्लास्टिंग न करके छोटा ब्लास्टिंग किया जाये और सभी नियमों का पालन किया जाये।

43. श्री नारायण पटेल, ग्राम–विचारपुर, जिला–कबीरधाम।

➢ खदान खुलने से कोई आपत्ति नही है।

44. श्री नन्दकुमार पटेल, ग्राम–नवापारा, जिला–कबीरधाम।

➢ खदान खुलने से कोई आपत्ति नही है।

45. श्री शोभितराम साहू, ग्राम–राम्हेपुर, जिला–कबीरधाम।

➢ खदान खुलने से कोई आपत्ति नही है। .

उपरोक्त वक्तव्य के बाद क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई के प्रतिनिधि एवं अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–कबीरधाम द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–कबीरधाम द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार सिंघानिया एवं कंसलटेन्ट श्री बी0डी0 पाण्डे, अल्ट्राटेक लेबोरेटरीज, थाणे (महाराष्ट्र) द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसमुदाय द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जो कि निम्नानुसार है :–

- ❖ उत्खनन नियमानुसार किया जायेगा।
- ❖ उत्खनन हेतु सभी शासकीय कार्यालयों से अनुमति लिया जायेगा।
- ❖ योग्यता एवं अनुभव के आधार पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार दिया जायेगा।
- ❖ सड़क का उचित रख रखाव किया जायेगा तथा वाहनों का तारपोलिन कव्हर्ड करके ही किया जायेगा।
- ❖ खदान की सीमा क्षेत्र में 1037 नग वृक्षारोपण किया जायेगा।
- ❖ ग्राम वासियों की मांग तथा ग्राम के विकास में डीएमएफ की राशि का खर्च शासकीय नियम के अनुसार किया जायेगा।
- ❖ धूल नियंत्रित करने हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग विधि से अधिकृत संस्था ही ब्लास्टिंग किया जायेगा।
- ❖ खदान का संचालन भूजल स्तर के उपर किया जायेगा।
- ❖ फयुजिटिव डस्ट के नियंत्रण के लिये जगह जगह छिड़काव की व्यवस्था की जायेगी।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित में 55 आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान कुल 45 व्यक्तियों द्वारा मौखिक आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय में से कुल 46 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–कबीरधाम द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जनसमुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर 02.15 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

अतिरिक्त कलेक्टर
जिला–कबीरधाम